न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
69 / 2021	01 / 06 / 2021	12 / 05 / 2025

बाबूलाल पुत्र महादेव जाति हरियाणा ब्राहमण आयु 46 वर्ष निवासी ग्राम खवारानीजी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।

वादी

बनाम

1. गोपाल पुत्र मूलचन्द
2. रामजीलाल पुत्र महादेव
3. लादूराम पुत्र महादेव
4. सुशीला पुत्री कैलाश
5. हंसा पुत्री कैलाश
6. मनीषा पुत्री कैलाश
7. मनभरी पत्नी कैलाश
   समस्त आयु वयस्क जाति हरियाणा ब्राहमण समस्त निवासीयान ग्राम खवारानीजी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
8. अक्षिता पुत्री कैलाश ना0बा0
9. नवरतन पुत्र कैलाश ना0बा0
   जरिये संरक्षिका माता मनभरी पत्नि कैलाश जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम खवारानीजी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

<u>प्रतिवादीगण</u>

<u>उपस्थित अभिभावक</u>
श्री रमाशंकर शर्मा :— वकील वादी।
श्री रामकरण शर्मा :— वकील प्रतिवादी सं0 1, 2, 3, 5, 6, 7

<u>दावा बाबत बटंवारा, स्थाई निषेधाज्ञा</u>
<u>अन्तर्गत धारा—53, 188 आर0टी0एक्ट</u>

—: निर्णय :—

वादी की ओर से एड0 श्री रमाशंकर शर्मा ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 1010 रकबा 0.0100है0, खसरा नम्बर 1017 रकबा 2.0300है0, खसरा नम्बर 361 रकबा 1.0100है0, खसरा नम्बर 395 रकबा 0.5300है0, खसरा नम्बर 719 रकबा 0.0100है0, खसरा नम्बर 719/1111 रकबा 0.0800है0, खसरा नम्बर 720 रकबा 0.0100है0, खसरा नम्बर 744 रकबा 1.3700है0, खसरा नम्बर 796 रकबा 0.0400है0, खसरा नम्बर 808 रकबा 0.8400है0 स्थित ग्राम खवारानीजी, पटवार हल्का खवारानीजी, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला जयपुर

सहखातेदार है। जिसे आगे उक्त वादपत्र में वादग्रस्त सम्पत्ति कहा गया है। जिसका विधिक तकासमा नही कराया गया है। अतः उक्त वर्णित वादग्रस्त सम्पत्ति का सरस–नरस के अनुसार हक व हिस्से एवं कब्जे को मध्य नजर रखते हुये तकासमा कर वादी का राजस्व रिकार्ड व लगान अलग अलग कायम किया जावें। प्रकरण में विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 22.12.2022 को प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार जमवारामगढ ने कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर पेश की। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस वकील उभय पक्ष की सुनी गई। वकील उभय पक्षों ने कुर्रेजात स्वीकार करने में सहमति जाहिर की। बहस सुनी जाकर निर्णय किया गया।

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ ने बटवारा हिस्से अनुसार किया। अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम खवारानीजी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात का तकासमा किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

–: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :–

वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है0	किस्म	लगान
बाबूलाल पुत्र महोदव हि0 1/8, लादूराम पुत्र महादेव हि0 1/8, रामजीलाल पुत्र महादेव हि0 1/8, गोपाल लाल पुत्र मूलचन्द हि0 1/2 नाबालिग अक्षिता, मनीषा, सुशीला, हंसा पुत्रीया कैलाश हि0 बरा 1/12, मनभरी पत्नी कैलाश हि0 1/48 नाबालिग नवरतन पुत्र कैलाश हि0 1/48 जाति हरियाणा ब्राहमण सा0देह खातेदार, संरक्षक माता मनभरी राहिन 1/8 पूर्ण एसबीआई जमवारामगढ।	1010 1017 361 395 719 79/1111 720 744 796 808	0.0100 2.0300 1.0100 0.5300 0.0100 0.0800 0.0100 1.3700 0.0400 0.8400	गै.मु. खड्डा चाही 1 नहरी 1 चाही 1 गै.मु.चाह चाही ए चाही ए चाही ए गै.मु.चाह चाही ए	–
योग	किता 10	5.9300	–	–

–: प्रस्तावित :–

प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है0	किस्म	लगान
बाबूलाल पुत्र महादेव हि0 पूर्ण जाति हरियाणा ब्राहमण सा0देह खातेदार	395 808 744/2	0.2600 0.3261 0.1400	चाही 1 चाही ए चाही ए	–
योग	किता 3	0.7261	–	–
बाबूलाल पुत्र महादेव हि0 1/8, लादूराम पुत्र महादेव हि0 1/8, रामजीलाल पुत्र महादेव हि0 1/8, गोपाललाल पुत्र मूलचन्द हि0 1/2, नाबालिग अक्षिता, मनीषा, सुशीला, हंसा पुत्रीयाँ कैलाश हि0 बरा 1/12, मनभरी पत्नी कैलाश हि0 1/48, नाबालिग नवरतन पुत्र कैलाश हि0 1/48 जाति हरियाणा ब्राहमण सा0देह खातेदार संरक्षक माता	796 744/1 808/3 720	0.0400 0.0400 0.0400 0.1400	गै.मु.चाह गै.मु.रास्ता गै.मु.रास्ता चाही ए	–

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला–जयपुर

(2/3)

मनभरी राहीन हि0 1/8 पूर्ण एसबीआई जमवारामगढ				
योग	किता 4	0.1200	—	—
लादूराम पुत्र महादेव हि0 1/7, रामजीलाल पुत्र महादेव हि0 1/7, गोपाललाल पुत्र मूलचन्द हि0 4/7 नाबालिग अक्षिता, मनीषा, सुशीला, हंसा पुत्रीयॉ कैलाश हि0 बरा 2/21, मनभरी पत्नी कैलाश हि0 1/42 नाबालिग नवरतन पुत्र कैलाश हि0 1/42 जाति हरियाणा ब्रहमण सा0देह खातेदार संरक्षक माता मनभरी राहिन हि0 1/7 पूर्ण एसबीआई जमवारामगढ।	1017 744 1010 719 719/1111 395/1 361 744/3 808/1 808/2	2.0300 0.3700 0.0100 0.0100 0.0800 0.2700 1.0100 0.8200 0.2439 0.2300	चाही 1 चाही ए गै.मु. खड्डा गै.मु.चाह चाही ए चाही 1 नहरी 1 चाही ए चाही ए चाही ए	—
योग	किता 9	5.0839	—	—

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रातिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

निर्णय आज दिनांक 12/05/2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ
जमवारामगढ